मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में सरकारी कालेजों के विकास के लिए अनुदान

3887. **चौधरी हरमोहन सिंह**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक दल ने उत्तर प्रदेश में सरकारी कालेजों के विकास के लिए अनुदान की स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी अनुदान राशि स्वीकृत की गई है और अब तक कितनी अनुदान राशि दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (घ) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार, एक समिति जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक सदस्य, दो शिक्षाविद् तथा एक वि॰ अनु॰ आ॰ का अधिकारी शामिल था, ने उत्तर प्रदेश में पात्र कालेजों के 8वीं योजना विकास प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दिसम्बर, 1991 में लखनऊ का दौरा किया। राज्य में 40 राजकीय कालेजों में से 27 कालेजों ने अपने 8वीं योजना विकास प्रस्ताव प्रस्तुत किये, जिनका समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर आयोग ने इन 27 कालेजों के लिए 239.50 लाख रु॰ का आवंटन अनुमोदित किया है जिसमें से 41.91. लाख रु॰ की राशि पुस्तकें, पत्रिकाएं व उपकरण खरीदने के लिए पहली किश्त के रूप में संस्वीकृत किए गए हैं।

आरक्षण-विरोधी आन्दोलन में अन्तर्ग्रस्त शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही

3888. **श्रीमती सत्या बहिन**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मंडल आयोग की सिफारिशों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के पश्चात् आरम्भ हुये आरक्षण विरोधी आन्दोलन को बढ़ावा देने में कुछ शिक्षक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अन्तर्ग्रस्त थे; और

(ख) यदि हां, तो कितने शिक्षकों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Representation of Southern States in U.G.C.

3889. SHRI G.G. SWELL:
SHRI SUBRAMANIAN SWAMY:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the U.G.C.'s membership has been reconstituted in 1992;

(b) whether it is also a fact that there is no representation of Professor/Vice-Chancellor in the above body from the Southern Universities;

(c) whether it is also a fact that in the 1989-92 commission, in the 1986-89 commission and 1983-86 commission in the parts at least two Southern States were represented; and

(d) if so, the reasons for exclusion of representative from Southern States in the U.G.C.'s reconstituted body for the year 1992-1995?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) to (d) Section 5(1) of the UGC Act provides that the Commission shall" consist of:—

(i) a Chairman
(ii) a Vice-Chairman and

(iii) ten other members, to be appointed by the Central Government.

(2) The Chairman shall be chosen from among persons who are not officers of the Central Government or of any State Government.

(3) Of the other members referred to in clause (iii) of sub-section (1)—

(a) two shall be chosen from among the officers of the Central Government, to represent that Government;

(b) not less than four shall be chosen from among persons who are, at the time when they are so chosen, teachers of Universities; and

(c) the remainder shall be chosen from among persons—

(i) who have knowledge of, or experience in agriculture, commerce, forestry or industry;

(ii) who are members of the engineering, legal, medical or any other learned profession; or

(iii) who are Vice-Chancellors of Unviersities or who, not being teachers of Universities, are in the opinion of the Central Government, educationists of repute or have obtained high academic distinctions:

Provided that not less than one-half of the number chosen under this clause shall be from among persons who are not officers of the Central Government or of any State Government.

The Government has re-constituted the University Grants Commission from time to time following the above provisions in the UGC Act.

नवोदय विद्यालयों में अव्यवस्था

3890. **श्री शिव प्रसाद चनपुरियाः** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नवोदय विद्यालयों में खाने-पीने और रहने की अव्यवस्था के कारण शैक्षिक वर्ष 1991-92 के दौरान विद्यालयवार कितने अभिभावकों ने अपने बच्चों के स्थानान्तरण प्रमाणपत्र लिए थे; और

(ख) क्या सरकार ने छात्रों द्वारा नवोदय विद्यालयों से स्थानान्तरण मांगे जाने संबंधी कारणों की कोई जांच कराई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) नवोदय विद्यालयों में खाने-पीने और रहने की व्यवस्था संबंधी सुविधाओं का निरीक्षण और अनुश्रवण (मॉनीटरिंग), क्षेत्रीय कार्यालयों के उपनिदेशक और नवोदय विद्यालय समिति (मुख्यालय) के अधिकारियों द्वारा, समय-समय पर उनके दौरों के दौरान किया जाता है। खाने-पीने और रहने की अव्यवस्था को, छात्रों/अभिभावकों द्वारा स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र लेने हेतु, एक पर्याप्त आधार के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सुविधाएं, संतोषजनक मानी गई हैं। नवोदय विद्यालय समिति का सतत प्रयास, उपलब्ध संसाधनों से छात्रों के लिए सुविधाओं में सुधार करना रहा है।

(ख) जी, नहीं

शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में राज्यों को दिशा-निर्देश

3891. **श्री शिव प्रसाद चनपुरियाः** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों की नियुक्ति और उनके वेतनमानों के संबंध में क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों के लिए कोई दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में कौन-कौन से राज्य इस नीति का पालन नहीं कर रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ग) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना के अंतर्गत पूर्णकालिक और अंशकालिक शिक्षकों के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। अलग-अलग राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की स्कूल प्रणाली में विद्यमान वेतनों